

// / / /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पोतासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 81/2011

उनवान

1. हैरिस लोरेन्स (तक)
 2. सिरिल लोरेन्स पि. उत्तम प्रसाद उर्फ डी. लोरेन्स जाति ईसाई नि. मिशन कम्पाउण्ड, नसीराबाद.
 3. ऐलिस पत्नी हैण्ड्री लोरेन्स एवं पुत्रवधु उत्तम प्रसाद उर्फ डी. लोरेन्स जाति ईसाई नि. मिशन कम्पाउण्ड, नसीराबाद (फौत)
- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. हैरल्ड, (फौत)
- 1/1. वायलेट पत्नी हैरल्ड
- 1/2. प्रेम पुत्र हैरल्ड
2. जैरल्ड, (फौत)
- 2/1. जेनेटदास पत्नी जैरल्ड
- 2/2. अनिल ऐन्थोनी
- 2/3. हिल्डा रोज
- 2/4. शानू शोरतएन
- 2/5. टूटू मेरी रोज पि0 जैरल्ड
3. हनूक पि. प्रभुदास जाति ईसाई नि0 ग्राम आशापुरा, नसीराबाद,
4. समोक देवी पत्नी किशनलाल जाति जाट नि. ग्राम गादेरी, नसीराबाद
5. राज. सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

-- अप्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
5 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



-: आदेश :-

दिनांक :- 6/8/14

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आशापुरा प0म0 गादेरी की निम्न आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

चौसाला ख.न.	रकबा	वंकिंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
57	1-2-0	215	1-2-0	255	0.18
70	0-19-10	214	0-19-10	257	0.16
39	1-0-0	49	1-11-0	52	0.02
				53	0.23
62	1-10-10	224	1-10-10	264	0.25
234	1-2-0	270	1-2-0	325	0.18
297	1-4-0	461	1-4-0	504	0.19
298	1-15-10	449	1-15-10	504	0.29



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)



आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर जमाबंदी सवंत 2025 से 2028 में प्रार्थीगण के पिता/ससुर उत्तम प्रसाद पुत्र देवीलाल उर्फ लौरेन्स जाति ईसाई की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व पूर्वज कदीम से काबिज काश्त है। चौसाला खसरा नम्बर 39 व 62 के वंकिंग खसरा नम्बर 49 व 224 व हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 त्रुटीपूर्ण रूप से वंकिंग जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी। जबकि अप्रार्थीगण को कभी भी प्रार्थीगण द्वारा बैचान नहीं किया गया है। मूल खातेदार की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। वंकिंग जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरेश सुखदेव अंकित हो गया जबकि सही नाम सिरिल है। उक्त त्रुटीपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थी स 3 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 को बैचान कर दिया। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 39 व 62 के वंकिंग खसरा नम्बर 49 व 224 व हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 राजस्थान पेसप्रटेरियन मिशन आशापुरा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता प्रभुदास पुत्र चमना को जरिये पंजीकृत दान पत्र दी गयी। तब से उक्त आराजी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की चली आ रही है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा पूर्व में एक वाद 47/1965 अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 183 का पेश किया था व उक्त वाद की अपील अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित की गयी। आराजी मुतनाजा पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।


1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 39 रकबा 1-0-0, 62 रकबा 1-10-10 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025-28 में उत्तम प्रसाद पुत्र देवालाल के नाम दर्ज है। वंकिंग व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 राजस्थान पेसप्रटेरियन मिशन आशापुरा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता प्रभुदास पुत्र चमना को जरिये पंजीकृत दान पत्र दी गयी। किन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। पूर्व जमाबंदी के इन्द्राज से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।
2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम पूर्व में खातेदारी दर्ज थी। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।
3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होंगे।

//3//

आदेश :- अतः ग्राम ग्राम आशापुरा प0म0 गादेशी के हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 0.02, 53 रकबा 0.23 व 264 रकबा 0.25 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीमण का प्रार्थना पत्र 'स्वीकार' किया जाता है। अप्रार्थीमण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

h
y
स

स
ग
क

अज्ञ

2 जाए

कगरे

नसीराबाद



ज्यापालप श्रीमान उपरबाड अधिकारी महोदय नसीरबाड
राजस्व × 81/11

श्रीमान महोदय,
 15/5/24

- (1) श्री हेरिस लॉरेन्स उम्र करीबन 78 वर्ष (तर्फे)
- (2) श्री सरिल लॉरेन्स उम्र करीबन 72 वर्ष पुजगण स्वर्गीय श्री उत्तम प्रसाद उर्फ श्री डी. लॉरेन्स जाति ईसारे निवासी मिशन कम्पाउंड नसीरबाड
- (3) श्रीमति टेलिस उम्र करीबन 82 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री हेन्री लॉरेन्स एवं पुजवधु स्वर्गीय श्री उत्तम प्रसाद जाति भारतीय ईसारे निवासी मिशन कम्पाउंड नसीरबाड (फौज)

बानाम
 ×

प्राथमिक

- (1) श्री हेरल्ड (फौज)
 - (अ) श्रीमति बांफ्लिट-पत्नी हेरल्ड उम्र 70 वर्ष
 - (ब) श्री प्रेम पुज हेरल्ड उम्र 44 वर्ष
 - (2) श्री जैरल्ड (फौज)
 - (अ) श्रीमति जेनेट कास विधवा स्व. जैरल्ड
 - (ब) श्री अनिल एन्थोनी पुज स्व. जैरल्ड
 - (स) हिल्डा रोज मेरी पुत्री श्री जैरल्ड
 - (द) शानू शौरव एन पुत्री जैरल्ड
 - (स) डूडू मेरी रोज पुत्री स्व. जैरल्ड
 - (3) श्री हनुक पुज श्री प्रभुदास जाति ईसारे निवासीगण काशापुरा तहसील नसीरबाड
 - (4) श्रीमति समोके देवी पत्नी किरानु लाल जाति जाट निवासी गगन गाँव तहसील नसीरबाड जिला कजमेर
 - (5) राजस्थान सरकार जरी तहसील वाट महोदय नसीरबाड कार्यालय नसीरबाड
- प्राथमिक
- प्राथमिक प्रज वारने संसोधित शीर्षक अन्वगत धारा
 212 राज कारवकारी डाकिनियम